समाहरणालय कोडरमा

(उत्पाद शाखा)

(बन्दोबस्ती सूचना)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए कोडरमा जिलान्तर्गत खुदरा उत्पाद दुकानों की शेष बची समूह सं0–14 को दो भागों में विभक्त किया गया है। यथा प्रथम में देशी शराब दुकान– कॉंटी व विदेशी शराब दुकान– कॉंटी शामिल है जबकि दूसरे में कम्पोजिट शराब दुकान–गझण्डी है, की बन्दोबस्ती निर्धारित फीस पर आवेदन प्रणाली द्वारा लॉटरी के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों की उपस्थिति में दिनांक 24.04.2010 के पुर्वा0 11:00 बजे से उपायुक्त, कोडरमा के सभा/कार्यालय कक्ष में की जाएगी। निर्धारित तिथि को बन्दोबस्ती नहीं होने की स्थिति में उक्त खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती प्रत्येक सप्ताह के गुरूवार को 11:00 बजे पूर्वा0 में की जाएगी।

लॉटरी में भाग लेने वाले इच्छुक उम्मीदवार इस कार्यालय के ज्ञापांक–90 दिनांक 26–02–2010 से जारी बिक्री अधिसूचना की शर्त्तों से अपने आपको प्रतिबद्ध रखते हुए बन्दोबस्ती तिथि से एक दिन पूर्व दिनांक 22.04.2010 के अप0 5:30 बजे तक अपना आवेदन, निर्धारित आवेदन शुल्क व वांछित कागजात के साथ समाहरणालय परिसर, कोडरमा स्थित अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए समाहरणालय परिसर, कोडरमा स्थित अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय से कार्यावधि में संपर्क किया जा सकता है।

उपायुक्त
कोडरमा